



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072025-265084
CG-DL-E-30072025-265084

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3402]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 29, 2025/श्रावण 7, 1947

No. 3402]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 29, 2025/SHRAVANA 7, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2025

का.आ. 3485(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट 43.15 किमी से 54.2 किमी के NH53 तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH53 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	Tahasildar, Marsaghai	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	उड़ीसा	केन्द्रपाडा	मर्सघई	1 हातीआ-१९८ 2 अंगुलाई-३२१

		NH53 के कि.मी 43.15 से कि.मी 54.2 तक				3	पुरुषोत्तमपुर-२०१
						4	कुसुनपुर-२१२
						5	कानपूर -२१३
						6	सिलीपुर-२१४
						7	हलदीआ-२०७
						8	बड़पाल-२१०
						9	मणिकुण्डा-१९९
						10	दराबाछा -२००
						11	दुमका-५३०
						12	तुलसीपुर-२११
						13	आठवाटीआ-२०९
						14	गरजंगा -२०५

[फा. सं. Cha/Paradip/8Lane/LA/3(a)/Marsaghai]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2025

S.O. 3485(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 43.15 to Km. 54.2 of the NH53 for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of ODISHA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH53 in the State of ODISHA.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7	
1	Tahasildar, Marsaghai	NH53 KM 43.15 TO KM 54.2	ODISHA	KENDRAPARA	Marsaghai	1	Hatia-198
						2	Angulai-321
						3	Purusottampur-201
						4	Kusunpur-212
						5	Kanpur-213
						6	Silipur-214
						7	Haladia-207
						8	Badpal-210

						9	Manikunda-199
						10	Darabachha-200
						11	Dumuka-530
						12	Tulasipur-211
						13	Athabatia-209
						14	Garajanga-205

[F. No. Cha/Paradip/8Lane/LA/3(a)/Marsaghai]

SHAIKH AMINKHAN, Director